

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन-पत्र की जाँच रिपोर्ट (ग्रामीण)

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. जाति.....
4. उम्र.....
5. मोबाईल नं.....
6. पता(डाक का पूर्ण पता):.....
7. जाँच रिपोर्ट.....
8. आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों प्रकृतिक्रमांक.....जारी दिनांक.....विभाग.....

क्र.स.	पात्रता की जाँच समावेशन हेतु निर्धारित मापदण्ड	जाँचकर्ता हस्ताक्षर
1.	ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता नहीं हो।	
2.	ऐसे परिवार जिसका कोई एक सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्तवासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त नहीं करता हो।	
3.	ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन नहीं हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो कि जिविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)	
4.	ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक न हों।	
5.	एक लाख वार्षिक आय से अधिक सीमा वाले परिवार नहीं हो।	
6.	ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु पक्का मकान न हो।	

नोट:- जाँच बिन्दु 1 से 3 व 5 से 6 की जाँच ग्राम विकास अधिकारी द्वारा होगी एवं जाँच बिन्दु संख्या 4 की जाँच पटवारी द्वारा की जायेगी। संबंधित ग्राम विकास अधिकारी एवं पटवारी बिन्दु के सामने जाँचकर्ता स्वयं के हस्ताक्षर अंकित करें।

3. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत समावेशन हेतु दस्तावेज चैक लिस्ट से जाँच की गयी प्रार्थीखाद्य सुरक्षा की श्रेणीमें नाम जोड़ने की पात्रता रखता है।

4. पात्रता की जाँच की गयी प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुरूप पात्रता सही नहीं पायी गयी। अतः प्रार्थी का आवेदन जाँच बिन्दु संख्याके अनुरूप पात्र नहीं होने के कारण खारिज किया जाने की स्पष्ट अभिषंषा की जाती है।

हल्का पटवारी

ग्राम विकास अधिकारी

नाम

नाम:.....

मो.नं.....

मो.नं.....

मोहर:.....

मोहर:.....

प्रेषित

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, भादरा

विषय:- खाद्य सुरक्षा प्रार्थना-पत्र की जाँच कर रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी.....पुत्र.....जाति.....की पात्रता की जांच संयुक्त टीम से करवायी गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा की श्रेणी मेंनाम जोड़ने हेतु पात्र पाया गया है। अतः नाम जोड़ने की स्पष्ट अभिषंषा की जाती है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा की श्रेणीमें जो आवेदन किया गया था। संयुक्त टीम द्वारा जाँच में आवेदक खाद्य सुरक्षा की श्रेणी में पात्र नहीं होने के कारण आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज करने की स्पष्ट अभिषंषा की जाती है।

तहसीलदार (राजस्व), भादरा

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भादरा